

छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में स्थिति एवं सशक्तिकरण

बीज शब्द :

बस्तर की जनजातीय महिलाएं, जनजातीय महिला साक्षरता, बस्तर संभाग में लिंगानुपात, जनजातीय जीवन शैली, जनजातीय महिला, सामाजिक एवं आर्थिक विकास

भारतीय संस्कृति व परम्परा में जनजातियों का एक विशेष स्थान रहा है। भारत में विगत कुछ समय में जनजातीय महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग जो कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है यहां जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास, शिक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। बस्तर संभाग के अन्तर्गत आने वाले सात जिलों में दंतवाड़ा जिले में सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात 1067 है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में भी सबसे अधिक है। यहां जनजातीय समाज में महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं आंका जाता है। इस क्षेत्र में स्थानीय समस्या जैसे- नक्सलवाद, सुदूर ग्रामीण-पहाड़ी क्षेत्र, पिछड़ापन आदि होने के बावजूद जनजातीय महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं एवं इनके जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा है।

शिव कुमार सिंघल

पी-एच.डी. शोधार्थी - अर्थशास्त्र

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़

E-mail: shiv4singhal72@gmail.com

छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में स्थिति एवं सशक्तिकरण

जनजाति शब्द प्रायः भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैधानिक सम्बोधन है। आदिवासी दो शब्दों 'आदि' और 'वासी' से मिलकर बना है, इसका अर्थ 'मूल निवास' है। संस्कृत ग्रंथों में इन्हें 'अत्विका' एवं 'वनवासी' कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आदिवासियों का है। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में हल्बा, बैगा, गोंड, मुरिया, माड़िया, भतरा आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। चंदा समिति ने सन् 1960 में जनजातियों के लिए पांच मानक निर्धारित किये जिसमें भौगोलिक एकीकरण, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, संकुचित स्वभाव आदि लक्षण शामिल हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है एवं भारत की आधी आबादी के प्रति समाज का उपेक्षित व्यवहार रहा है। कालान्तर में भारत भूमि पर कई बुद्धिजीवी एवं महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने का प्रण लेते हुए समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जैसे- सती प्रथा, बालिका विवाह प्रथा, कन्यावध प्रथा, डायन प्रथा आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी तरह जनजातीय समाज में महिलाओं के प्रति प्रचलित विभिन्न तरह की कुप्रथाएं धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं तथा जनजातीय समाज मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है। अब विकास का चक्र परिवर्तित हो गया है। विकास की इस परिवर्तित व्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक वास्तविकता यह भी है कि आज भी कुछ प्रतिशत महिलाओं को छोड़कर शेष महिलाएँ समस्त क्षेत्रों में पीछे हैं। कभी पारिवारिक तो कभी सामाजिक स्तर पर ही महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। आवश्यकता है कि समाज महिलाओं के मानव अधिकारों को जानकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने एवं उनके खिलाफ हो रहे शोषण को खत्म करने का प्रयास करे ताकि हमारे राष्ट्र एवं समाज में महिला एवं पुरुषों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में जनजातीय महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे सभी कार्य कर रही हैं जिसे केवल यह समझा जाता था कि वो पुरुष ही कर सकते हैं। जनजाति महिला सशक्तिकरण ने नये आयाम को प्राप्त किया है जहाँ जनजातीय महिलाओं को सीमित क्षेत्र तक ही सिमटा हुआ समझा जाता था वहीं आज इन्हीं महिलाओं ने शोषण की जंजीरों को तोड़कर अपने क्षेत्र, समाज, राज्य में एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाओं श्रीमती राजमोहनी देवी एवं

श्रीमती फुलबासन बाई को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्म श्री सम्मान मिला है। वहीं बस्तर संभाग के कोण्डागांव जिले की सुश्री लता उसेंडी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी एवं दंतेवाड़ा जिले की श्रीमती देवकी वर्मा विधायक बनीं इसी तरह बस्तर संभाग के इस क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं का चयन विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में हो रहा है। हाल ही में 26 जुलाई 2018 को दंतेवाड़ा जिले के 'हीरानार' में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रपति महोदय द्वारा 'ई रिश्ता कैफे' का शुभारंभ किया गया है। जनजातीय महिलाएँ वे सभी कार्य कर रही हैं जिसे पहले केवल पुरुष प्रधान कार्य समझा जाता था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जनजातीय महिला भागीदारी बढ़ी है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. बस्तर संभाग की जनजातीय महिलाओं की जीवन शैली का अध्ययन करना।
2. जनजातीय महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना।
3. जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. जनजातीय महिलाओं से संबंधित योजनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन हेतु परिकल्पना:

1. शासन/सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जनजातीय महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सहयोगी है।
2. मानव संसाधन विकास में जनजातीय महिलाएँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
3. जनजातीय महिलाओं में अशिक्षा, अज्ञानता इनके जीवन स्तर सुधार में मुख्य बाधाएं हैं।

अध्ययन का क्षेत्र एवं प्राक्कल्पना:

अध्ययन के क्षेत्र के रूप में बस्तर संभाग के सात जिलों- कोण्डागांव, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर को लिया गया है एवं प्रस्तुत अध्ययन हेतु ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का उपयोग किया गया है।

बस्तर संभाग में जनजातीय जनसंख्या, लिंगानुपात एवं साक्षरता दर:

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,45,198 है। कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या 78.22 लाख है। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में सातवाँ तथा जनजातीय प्रतिशत के आधार पर देश में आठवाँ स्थान है। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 1,28,32,895

व महिला जनसंख्या 1,27,12,303 है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28 है। जिसमें जनजातीय साक्षरता 50.11 प्रतिशत है व जनजातीय महिला साक्षरता दर 41.38 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है जहां जनजातीय लिंगानुपात 1020 है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सात जिले- बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर आते हैं। इन सात जिलों की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 30,90,828 है। इस जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या 20,69,230 है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात बस्तर संभाग के कोण्डागांव जिले में है जो 1033 है वहीं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात भी बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा जिले में है जो कि 1067 है। इस संभाग में सर्वाधिक साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 77 प्रतिशत कांकेर जिले का है। यहां पुरुष साक्षरता दर 83 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 71 प्रतिशत है। विगत कुछ समय से बस्तर संभाग के सात जिलों की साक्षरता दर में निरन्तर सुधार हो रहा है।

बस्तर संभाग में जनजातीय महिलाओं की जीवन शैली:

बस्तर संभाग की जनजातीय महिलाओं की जीवन शैली को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है-

01. यहां की जनजातीय महिलाएँ ज्यादातर कृषि संबंधी कार्य करती हैं व कृषि से संबंधित विभिन्न तरह के कार्यों में पुरुषों की मदद करती हैं।

02. घर के एक निश्चित भू-भाग में फल-सब्जियों को उगाया जाता है व स्थानीय बाजार में जाकर इसका विक्रय किया जाता है।

03. घर पर ही मुर्गी-मुर्गा, गाय, बकरी, सूकर आदि का पालन करके इनके द्वारा प्राप्त उत्पादों से जीविकोपार्जन किया जाता है।

04. जनजातीय महिलाएँ अधिकतम सघन वनों एवं जंगलों के बीच ग्रामीण अंचल में बसने के कारण जंगलों से प्राप्त होने वाले वनोत्पादों जैसे- तेन्दुपत्ता, चिरौंजी, महुआ, कंदमूल, हर्षा, भेलवा आदि को जंगलों से प्राप्त कर इनका विक्रय स्थानीय बाजारों में कर देती हैं।

05. विभिन्न तरह की हस्तशिल्प कलाओं जैसे- घडवा कला, लौह शिल्प, मिट्टी शिल्प, पत्ता शिल्प, बांस शिल्प, लकड़ी शिल्प आदि में पारंगत होने के कारण इन हस्तशिल्प संबंधी वस्तुओं के विक्रय द्वारा भी जीविकोपार्जन किया जाता है।

06. यहां की जनजातीय महिलाएँ निर्माणी श्रमिक के रूप में भी कार्य करती हैं।

07. विकसित होते हुए सामाजिक परिवेश का जनजातीय समाज

में भी प्रभाव पड़ा है व महिलाओं की साक्षरता दर भी बढ़ी है विभिन्न तरह की सरकारी/प्राइवेट नौकरियों में इनका चयन हो रहा है जिससे जीवन स्तर भी सुधर रहा है।

08. जनजातीय महिलाएँ अपने समाज की विभिन्न तरह की लोक संस्कृतियों व कलाओं को सहेजे हुए हैं जिसका किसी त्यौहार या खास समय पर प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं मानव संसाधन विकास में महिलाओं की सहभागिता :

मानवीय संसाधन से तात्पर्य किसी देश के लोगों की सक्षमता का विकास और उसके दोहन से है। जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में निवास करता है। बस्तर संभाग की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 31 लाख है। इसमें जनजातीय जनसंख्या लगभग 21 लाख अर्थात् लगभग 67 प्रतिशत है। यह क्षेत्र अब भी पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में आने का कारण मुख्यतः शिक्षा का अभाव, कार्यकुशलता में कमी, परम्परागत जीवन शैली, नक्सली समस्या, आधारभूत सुविधाओं के विकास में कमी जैसे- शुद्ध जल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं आदि का इन तक नहीं पहुंच पाना है। नक्सली समस्या के कारण भी बस्तर संभाग में मानव संसाधन विकास की गति कम है। नक्सलियों द्वारा जनजातियों का 'ब्रेनवॉश' कर प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया जाता है। अतः आवश्यकता है कि जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे- बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की पहुँच आसान हो जिसमें जनजातीय समाज स्वयं के समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सके। कुल मिलाकर भूमण्डलीकरण के युग में ज्ञानवान समाज या आधुनिक समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बेहद जरूरी है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां मानव संसाधन विकास हो। प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उस क्षेत्र में अच्छे अभिशासन के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए, ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। छोटी से छोटी चीजों के लिए इन्हें प्रशिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा, तकनीकी आदि ऐसे माध्यम हैं जिनसे ये अपना विकास कर पाएंगे तथा रोजगार के अवसर भी इन्हें प्राप्त होंगे।

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। हमारे देश में उच्च स्तर की

लैंगिक असमानता है। महिला आरक्षण बिल 108वाँ संविधान संशोधन जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। छत्तीसगढ़ में महिला जनसांख्यिकीय सूचकांक निम्न है-

कुल जनसंख्या	1.27 करोड़
राज्य की कुल जनसंख्या	49.76 प्रतिशत
महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि दर	दशकीय (पुरुष 22.52 प्रतिशत)

महिला कार्यशील भागीदारी जनगणना २०११ के अनुसार

भारत में कार्यशील महिला भागीदारी - 25.52 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ में कार्यशील महिला भागीदारी - 39.70 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील महिला भागीदारी - 46.30 प्रतिशत
शहरी क्षेत्र में कार्यशील महिला भागीदारी - 17.42 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिला सशक्तिकरण की दिशा में शासन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा निम्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं-

01. **सक्षम योजना** - वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी है। इस योजनांतर्गत 35 से 40 आयु समूह की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु सरल ऋण दरों पर एक लाख रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

02. **स्वावलंबन योजना** - वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत 35 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

03. **मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन** - वर्ष 2015-16 से प्रारंभ यह प्रदेश के 141 निकायों में क्रियान्वित की जा रही है इसके माध्यम से महिला स्वसहायता समूह के गठन का प्रावधान है।

04. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** - 2005-06 से प्रारंभ योजनांतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह हेतु प्रति कन्या 15000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

05. **सुखद सहारा योजना** - योजनांतर्गत 18-39 आयु समूह की निराश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को 350 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

06. **वन स्टॉप सेंटर (सखी)** -16 जुलाई 2015 से रायपुर से सखी सुविधा केन्द्र की स्थापना हिंसा से प्रभावित तथा पीड़ित महिलाओं को सलाह, मार्गदर्शन, संरक्षण हेतु स्थापित की गई मार्च 2017 से प्रदेश के सभी जिलों में इसका संचालन किया जा रहा

है। इसी तरह अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संचालित की जा रही हैं।

07. **आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना** - यह योजना वर्ष-2015-16 से संचालित है इस योजनांतर्गत आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु राशि 50,000 रुपये एवं आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रु. 10000 की सहायता की जाती है।

08. **कौशल विकास योजना**- यह योजना वर्ष-2013 से संचालित है इस योजनांतर्गत बेरोजगारों को स्वरोजगार के प्रोत्साहन देने हेतु लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों व क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

09. **सरस्वती साइकल योजना** - आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से स्कूल की दूरी के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। आठवीं कक्षा के बाद छात्राओं को हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना लागू की गई है।

10. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना** - जनजातीय कन्याएं जो पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर उन्हें 500.00 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

11. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय** - अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

12. **छात्रावास योजना** - छात्राओं को अच्छे परिवेश में शिक्षा की सुविधा हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

13. **एकलव्य आवासीय विद्यालय** - यह योजना भी अच्छे परिवेश में छात्र-छात्राओं की शिक्षा में सुधार हेतु संचालित की जा रही है।

बस्तर संभाग में जनजातीय महिलाओं की समस्याएं:-

01. **शिक्षा व अज्ञानता संबंधी समस्या** - शिक्षा की कमी व अज्ञानता के कारण जनजातीय महिलाओं द्वारा एकत्रित एवं उत्पादित सामाग्रियों को बिचौलियों द्वारा कम कीमत देकर खरीदा जाता है जिससे ये प्रायः ठगी का शिकार हुआ करती हैं।

02. **स्वास्थ्य संबंधी समस्या** - सुदूर वन क्षेत्रों में निवास होने के कारण जनजातीय महिलाओं को बीमारी, दुर्घटना, गर्भावस्था में गांव के ही स्थानीय दाई व स्थानीय उपचार पर निर्भर रहना पड़ता

है हालांकि आज हर गांव में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गए हैं फिर भी कच्ची पथरीली सड़क होने के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों से कोसों दूर होती है।

03. शुद्ध पेयजल की समस्या - जनजातीय क्षेत्रों में प्रायः शुद्ध पेय जल नहीं मिल पाता है। सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में आज भी लोग पेय जल हेतु प्राकृतिक स्रोतों जैसे- तालाबों एवं कुओं पर निर्भर हैं। तालाबों-कुओं की साफ सफाई नहीं होने के कारण स्थिर पानी का उपयोग करने से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है।

04. सड़क व बिजली की समस्या - ग्रामीण अंचल एवं सघन वन क्षेत्रों में निवास होने के कारण सड़क व बिजली संबंधी समस्या का सामना जनजातीय महिलाओं को करना पड़ता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली-सड़क की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

05. नक्सली समस्या - बस्तर संभाग नक्सली समस्या के कारण पूरे भारत वर्ष में जाना जाता है। जनजातीय महिलाओं को इन क्षेत्रों में हर समय नक्सली समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

06. बाल विवाह संबंधी समस्या - जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश जनजाति महिलाओं का विवाह, विभिन्न तरह की कुरीतियां व्याप्त होने के कारण कम उम्र में ही करा दिया जाता है।

07. असामाजिक तत्वों की जालसाजी में प्रायः फंसने संबंधी समस्या - जनजातीय महिलाएँ भोले-भाले, सीधे-सादे होने के कारण बाहरी असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ जाती हैं। ज्यादा पैसे देने का लालच देकर इनके मूल स्थान से दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। जहां वे प्रायः शोषण का शिकार बनती हैं।

08. योजनाओं की जानकारी न होने संबंधी समस्या - सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में जनजातीय महिलाएँ प्रायः अपने लाभ से वंचित रह जाती हैं।

09. ऋण संबंधी समस्या - स्वरोजगार हेतु इन जनजातीय महिलाओं को ऋण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। साहूकार से ज्यादा ब्याज दर पर कम ऋण दिया जाता है। हालांकि सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसमें इन जनजातीय महिलाओं को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु ऋण देने हेतु जो शर्तें सरकार द्वारा रखी जाती हैं उनसे इन जनजातीय महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

10. शौचालय संबंधी समस्या - हालांकि वर्तमान में सरकार

द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है परन्तु आज भी कई सुदूर जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुरीतियां व्याप्त होने के कारण इन जनजातीय महिलाओं को शौच हेतु खुले में जाना पड़ता है।

11. वेतनमान संबंधी समस्या - जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन/मजदूरी दी जाती है।

12. पलायन संबंधी समस्या - जनजातीय महिलाएँ रोजगार की तलाश में शहरी जीवन शैली से आकृष्ट होकर अपने मूल क्षेत्रों से पलायन कर जाती हैं जो इन जनजातीय क्षेत्रों की एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

बस्तर संभाग में जनजातीय महिलाओं की समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय/सुझाव :

01. शिक्षा को बढ़ावा देना होगा जिससे जनजातीय महिलाएँ सशक्त बन सकें।

02. ग्रामीण क्षेत्रों तक पक्की सड़कों का निर्माण, बिजली, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा आदि की सुचारू व्यवस्था करनी होगी।

03. अपने अधिकारों के प्रति इन्हें जागरूक करना होगा।

04. स्थानीय शासन/ प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सके एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ इन्हें प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसका आकलन, केवल आकड़ों से करने की अपेक्षा स्वयं कार्य स्थल पर इनसे इनकी समस्याओं को जानकर करना होगा।

05. जिन बिचौलियों एवं व्यवसायियों से प्रायः ठगी का शिकार होते हैं। उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी।

06. इन क्षेत्रों में नक्सली समस्या को समाप्त करने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे साथ ही साथ इन आदिवासियों को एकजुट कर इनके विचारों की अभिव्यक्ति को भी प्राथमिकता देनी होगी।

07. प्रायः देखा जाता है कि जनजातियां अपने परिवेश वन-जंगल के बीच खुश रहती हैं व जीवनयापन करना चाहती हैं। इस कारण न केवल सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देना होगा अपितु यह भी ध्यान रखना होगा कि जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था में दखल न हो।

08. जनजातीय संस्कृति, सभ्यता, कलाएं भारत की सांस्कृतिक व पुरातन धरोहर हैं इस कारण इसका संरक्षण/संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है।

09. बैंको के माध्यम से ऋण की व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाना होगा व रोजगार मुखी स्वसहायता समूह की स्थापना इन क्षेत्रों में करनी होगी।

10. इन क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न तरह के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाना होगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो व जीविकोपार्जन का एक सशक्त जरिया बन सके।

निष्कर्ष: - उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में अद्यतन स्थिति क्या है, साथ ही महिला सशक्तिकरण, मानव संसाधन विकास में इनकी क्या भूमिका है। जनजातीय महिलाओं की उन समस्याओं को जानने में सहायता प्राप्त होगी जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर रहीं हैं। यह भी ज्ञात होता है कि बस्तर संभाग जो अपनी जनजातीय संस्कृति, सभ्यता, हस्तशिल्प कला के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है यहां जनजातीय महिलाओं की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है जो अनेकों बाधाओं, समस्याओं का सामना कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. निरगुणे, बंसत, (2005). लोक संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ संख्या 76
2. बेहार, राजकुमार, (1995). बस्तर एक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ संख्या 155
3. शर्मा, ब्रम्हदेव, (1980). आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ संख्या 110
4. एल्विन, वेरियर, (1951). द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल ईंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ संख्या 135

5. जगदलपुरी, लाला, (2016). बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ संख्या 126
6. भारत की जनगणना 2011 के आकड़ों का समावेश किया गया है।
7. गुप्ता, मदललाल, (2003). छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं लोक आर्याम के विभिन्न स्वरूप, भारतेन्दु साहित्य समिति, बिलासपुर, पृष्ठ संख्या 22
8. हसनैन, नदीम, (1997). जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ संख्या 93
9. मेहता, चंद्र प्रकाश, (2006). आदिवासी विकास एवं प्रथाएं, डिस्कवरी पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 89
10. योगेन्द्र शर्मा, महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा, लोकभारती प्रकाशन नई दिल्ली, एडीसन 01, पृष्ठ संख्या 76
11. मिश्र, रोहित, (2011). समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण, रोयल बुक कम्पनी, लखनऊ, पृष्ठ संख्या 18
12. शुक्ल, हीरालाल, (1978). प्राचीन बस्तर, विश्वभारती प्रकाशन नागपुर, पृष्ठ संख्या 36
13. शर्मा, पी.डी., (2017). महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 56
14. वैष्णव, हरिहर, (2014). बस्तर के आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परम्परा, राधा-कृष्णा प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 125

जनगणना 2011 के अनुसार भारत देश व छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या की स्थिति

जनगणना 2011	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या	कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत
भारत देश की जनसंख्या	1,21,05,69,573	10,42,30,040	8.61
छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या	2,55,45,198	78,21,940	30.62

स्रोत:- भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की जनगणना वर्ष 2011 के आकड़ों के अनुसार

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनजातियों की जनसंख्या जनगणना २०११, को निम्न सारणी के माध्यम से देखा जा सकता है।

जिले का नाम	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या	कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत	कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत	कुल जनसंख्या में जनजातियों का लिंगानुपात
बस्तर	8,34,375	5,20,817	62.42	53.15	1035
कांकेर	7,48,941	4,14,764	55.38	70.29	1034
कोण्डागांव	5,78,824	4,11,023	71.01	56.21	1046
दन्तेवाड़ा	2,83,479	2,01,469	71.07	48.63	1067

बीजापुर	2,55,230	2,04,184	80	40.86	1011
सुकमा	2,50,159	2,08,808	83.47	34.81	1041
नारायणपुर	1,39,820	1,08,165	77.36	48.62	1021
कुल	30,90,828	20,69,230	66.95		

स्त्रोत:- छत्तीसगढ़ जनगणना वर्ष 2011 के आकड़ों के अनुसार

